Parliamentary Affairs Department

Jaipur, July 15, 2005

Notification

G.S.R. 34-In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may by called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Telephone Facility) Rules, 2005.

(2) They shall come into force at once.

2. Definitions.– In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act No. 6 of 1957);

(b) Words and expression used but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Telephone facilities to the Speaker, Deputy Speaker, Government Chief Whip, the Deputy Government Chief Whip and the Leader of the Opposition.– The telephone facilities provided to the Speaker, Deputy Speaker Government Chief whip, Deputy Government chief Whip and the Leader of the Opposition under sub-section (9) of section 6A of the Act, at their residence shall be subject to the following telephone calls.-

(i)	Speaker	Unlimited
(ii)	Deputy Speaker	Calls equal to the allowed to State Minister
(iii)	Government Chief Whip	Calls equal to that allowed to Cabinet Minister
(iv)	Deputy Government Chief Whip	Calls equal to that allowed to State Minister
(v)	Leader of the Opposition	Calls equal to that allowed to Cabinet Minster

संसदीय कार्य विभाग

जयपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2005

अधिसूचना

जी. एस. आर. 34.— राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम सं. 6) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (टेलीफोन सुविधा) नियम, 2005 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम सं. 6) अभिप्रेत है;

(ख) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वहीं अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता की टेलीफोन सुविधा.– अधिनियम की धारा 6 क की उप-धारा (9) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता को उनके निवास पर उपलब्ध टेलीफोन सुविधाएं निम्नलिखित टेलीफोन काल्स के अध्यधीन होगी :-

(i)	अध्यक्ष	असीमित
(ii)	उपाध्यक्ष	राज्य मंत्री को अनुज्ञात काल्स के समकक्ष
(iii)	सरकारी मुख्य सचेतक	केबीनेट मंत्री को अनुज्ञात काल्स के समकक्ष
(iv)	सरकारी उप मुख्य सचेतक	राज्य मंत्री को अनुज्ञात काल्स के समकक्ष
(v)	विपक्ष का नेता	केबिनेट मंत्री को अनुज्ञात काल्स के समकक्ष

4. **Telephone facilities to Whips of racognised parties and Leaders of groups**.—the telephone facilities provided to the whips of recognized parties and Leaders of groups under section 7 of the Act at their residence shall be subject to the following telephone calls.-

(i)	Whips of recongnized parties		900 calls per two months:
(ii)	Leader of groups:-		
	(a)	Members from 2 upto 5	900 calls per two months.
	(b)	Members from 6 upto 10	1200 calls per two months.
	(c)	Members from 11 upto 20	1500 calls per two months.
	(d)	Members 21 and above	cells equal to that allowed to State Minster

5. Telephone facility to Chairman of Committees.– The telephone facilities provided to the Chairman of Committee under section 9A of the Act, at their residence shall be subject to the 900 telephone calls per two months.

6. General.- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the officers/members entitled to telephones facilities at their residence under these rules equivalent to cabinet/State Minister shall not be entitled to claim telephone : allowance as a Member of Legislative Assembly under rule 3 of the Rajasthan Legislative Assembly Members (Telephone facility) Rules, 1982.

(2)If telephone calls exceed the limit as mentioned in rule 3, 4 and 5 as the case may be, the excess amount beyond the limit shall be paid by the Officers/Members concerned.

[No. F.7(4)Sansad/2004]

By order of the Governor

(G.S. Seraph)

Secretary to Government

4. मान्यता प्राप्त दलों के सचेतक और ग्रुपों के नेताओं को टेलीफोन सुविधाएं.— अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त दलों के सचेतकों और ग्रुपों के नेताओं को उनके निवास पर उपलब्ध टेलीफोन सुविधाएं निम्नलिखित टेलीफोन कालस के अध्यधीन होंगे :-

(i) मान्यता प्राप्त दलों के सचेतक	900 काल्स प्रति माह
(ii) ग्रुपों के नेता :	
(क) 2 से 5 तक सदस्य	900 कल्स प्रति दो माह
(ख) 6 से 10 तक सदस्य	1200 काल्स प्रति दो माह
(ग) 11 से 20 तक सदस्य	1500 काल्स प्रति दो माह
(घ) 21 और उससे अधिक सदस्य	राज्य मंत्री को अनुज्ञात काल्स के समकक्ष

5. समितियों के अध्यक्ष को टेलीफोन सुविधा.– अधिनियम की धारा 9 क के अधीन समितियों के अध्यक्ष को उनके निवास पर उपलब्ध टेलीफोन सुविधा 900 टेलीफोन काल्स प्रति दो माह के अध्यधीन होगी।

6. सामान्य.- (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन अपने निवास पर केबीनेट/राज्यमंत्री के समकक्ष टेलीफोन सुविधाओं के हकदार अधिकारी/सदस्य राजस्थान विधान सभा सदस्य (टेलीफोन सुविधा) नियम, 1982 के नियम 3 के अधीन विधान सभा के सदस्य के रूप में टेलीफोन भत्ते का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

(2) यदि टेलीफोन काल्स नियम 3, 4 और यथा स्थिति 5 में यथा उल्लिखित सीमा से अधिक होती है तो सीमा से अधिक रकम सम्बन्धित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा संदत्त की जायेगी।

[संख्या प. 7 (4)संसद/2004]

राज्यपाल के आदेश से,

जी.एस. सर्राफ

शासन सचिव।